आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

जी. एस. **संधावलिया** और विकास सूरी**,** जे. जे.**के समक्ष**

संघ लोक सेवा आयोग-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण**,** चंडीगढ़

और प्रतिवादी

2022 का सीडब्ल्यूपी **No.13875**

04 जुलाई, 202

भारत का संविधान**, 1950**-कला।**226/227**— एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट "-अदालत का अधिनियम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा-पद पर विचार करने के अधिकार को केवल वरिष्ठ के पक्ष में दी गई रोक के कारण अस्वीकार किया जा रहा है-यू. पी. एस. सी. ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल**,** चंडीगढ़ में अनुबंध के आधार पर भरे गए एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद को नियमों के अनुसार भरने के कैट के आदेश को चुनौती दी**,** जिसे 'समाप्त' घोषित नहीं किया जाएगा-कैट का **निष्कर्ष**-याचिकाकर्ता यू. पी. एस. सी. का निर्णय चंडीगढ़ प्रशासन को पद के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहता है-ठोस सिद्धांत पर नहीं-पद के लिए पात्र निजी प्रतिवादी-**वरिष्ठ संकाय सदस्यों के बीच** मुकदमेबाजी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश-पदोन्नति के लिए विचार करने का अनुरोध अवरुद्ध।निजी प्रतिवादी के अधिकार को यू. पी. एस. सी. द्वारा **रोककर नकारा नहीं जा सकता-पद समाप्त कर दिया गया**-निजी प्रतिवादी को पदोन्नति के लिए विचार करने का निर्देश देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए अस्वीकार नहीं किया जा सका-याचिका खारिज कर दी गई।

माना गया है कि मोहम्मद गाजी बनाम एम. पी. राज्य (2000) 4 एस. सी. सी. पर भरोसा किय जा सकता है, जिसमें यह मुद्दा था कि क्या किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका में अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण उसकी कोई गलती नहीं होने पर दंडित किया जा सकता है।उक्त परिस्थितियों में, यह उक्ति लागू की गई और यह माना गया कि एक बार बोली स्वीकार हो जाने के बाद और स्थगन आदेश के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, अपीलकर्ता की ब्याना राशि को कटौती करने का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता था।उक्त सिद्धांत यहाँ भी सीधे लागू होगा क्योंकि याचिकाकर्ता के पद पर विचार करने के अधिकार को केवल उस रोक के कारण अस्वीकार किया जा रहा है जो उसके एक वरिष्ठ के पक्ष में दी गई थी।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलका चतरथ।

संजय कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. पी. सेतिया अधिवक्ता, प्रतिवादी No.2/कविएटर

आशीष रावल, प्रतिवादी संख्या 3-यू. ओ. आई. के लिए अधिवक्ता

अभिनव सूद, अधिवक्ता और अभिव्रत आर्य, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 और 5

जी0 एस0 सन्धावालिया, ज0 (मौखिक)

(1) चुनौती, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान याचिका में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 06.04.2022 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के लिए है, आश्चर्यजनक रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा (संक्षेप में 'आयोग')।

(2) आयोग न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के खिलाफ व्यथित है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रशासन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर का पद कभी भी खाली नहीं रहा था क्योंकि यह पद नियमों के अनुसार अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा गया था और इसलिए, दिनांक 12.0402017 की सरकारी अधिसूचना के संदर्भ में इसे 'समाप्त माना' नहीं जाएगा।न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता-आयोग का प्रशासन को पद के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहने का निर्णय ठोस सिद्धांत और मनमाने और आवश्यक हस्तक्षेप पर नहीं है।इस प्रकार प्रशासन को उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर उस पद के लिए डी. पी. सी. का प्रस्ताव भेजने का निर्देश देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए, जिस पर डॉ. शिखा रानी को अस्थायी रूप से रखा गया था।डी. पी. सी. को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना था और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर उचित आदेश जारी करने के बाद कानून के अनुसार कार्य करना था।

(3) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वकील-प्रतिवादी Nos.4 और 5 ने इस अदालत को सूचित किया है कि संबंधित प्रस्ताव पहले ही 11.05.2022 पर आयोग को भेजा जा चुका है।जाहिरा तौर पर, न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों को चुनौती देने के लिए 27.06.2022 पर रिट याचिका दायर की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत संघ/चंडीगढ़ प्रशासन इस आदेश के खिलाफ कभी भी व्यथित नहीं हुआ था बल्कि, प्रशासन हमेशा यह अनुमान दर्शाता रहा है कि इस पद को कभी भी समाप्त नहीं किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता-आयोग की राय में, यह समाप्त हो गया है और इस प्रकार, विवादित आदेश को चुनौती दी गई है।

(4) हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दो पदों के प्रस्ताव के खिलाफ, जिन्हें भरा जाना था, जिसके लिए एक अनुरोध दिनांक 29.12.2020 (अनुलग्नक R-II) पर किया गया है, एक पद के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और डॉ. नवनीत टक्कर, जो प्रतिवादी संख्या 2 से वरिष्ठ थी, को उक्त लाभ प्रदान किया गया था। दूसरे पद के संबंध में, याचिकाकर्ता-आयोग का यह लगातार रुख था कि दिनांक 12.04.2017 के निर्देशों को देखते हुए इस

पद को समाप्त कर दिया गया था और इसलिए भारत संघ से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार किया गया और नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि संबंधित नियमों के तहत सीधी भर्ती करते समय एक अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रति नियुक्ति पर एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे सरकारी मेडिकल कॉलेज और हस्पताल, चंडीगढ़ प्रोफेसर (प्रसूति और स्त्री रोग) कहा जाता है। रीडर (प्रसूति और स्त्री रोग) और वरिष्ठ व्याख्याता (प्रसूति और स्त्री रोग), (समूह 'ए' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (अनुबंध ए-3)।

(5) यह देखा गया कि डॉ. अलका सहगल और डॉ. पूनम गोयल नामक दो संकाय सदस्यों के बीच एक मुकदमे के कारण, मुकदमे बाजी हुई थी और इसलिए प्रोफेसर के रूप में उनकी पदोन्नति पर, क्योंकि मामला इससे पहले भी इस अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने दिनांक 20.4.2017 को डॉक्टर अलका सहगल बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका 7659-2017 को स्वीकार करने के कारण जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के संचालन पर डॉक्टर अलका सहगल के कहने पर रोक लगा दी थी, एक अन्य संकाय सदस्य को उक्त पद को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। यह विवादित नहीं है कि उक्त संकाय सदस्या ने दिनांक 31.05.2021 पर इस्तीफा दे दिया था जो चंडीगढ़ प्रदर्शन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बाद था। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि डॉ. अलका सहगल द्वारा शुरू की गई मुकदमे बाजी के कारण खाली पड़े पद को डॉ.सिखा रानी को नियुक्त करके अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा गया था, जिन्हें भारत के समेकित कोष के खिलाफ उनके नियमित वेतन का भुगतान किया गया था और उनकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार थी।इसलिए, यह नहीं माना जा सकता था कि एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद की रिक्ति थी और इस प्रकार 12.04.2017 दिनांकित निर्देश लागू नहीं होंगे।

(6) अभिलेख को देखने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया तर्क किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 पदोन्नति के लाभ के लिए लालायित रही है और न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया है, जिसमें एक शिकायत यह थी कि डॉ. अलका सहगल की पदोन्नति पर पद के खिलाफ उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा था, जिसको शिक्षक होना था।यह उनका मामला था कि प्रतियोगिता डॉ. पूनम गोयल के साथ थी, जिन्हें स्वयं एक प्रोफेसर के रूप में 12.02.2020 पर पदोन्नत किया गया था और इसलिए, दोनों के बीच मुकदमा केवल वरिष्ठता का सवाल था।ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने पदोन्नति के लिए विचार करने की मांग की और मूल आवेदन दायर करने से तुरंत पहले, उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए 07.12.2020 (अनुलग्नक ए-6) एक कानूनी नोटिस दिया था। नतीजतन, प्रशासन ने 29.12.2020 (अनुलग्नक आर-II) पर प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले दो वरिष्ठ संकाय सदस्यों के बीच लंबित मुकदमे के बारे में आयोग को लिखा था और यह मामला अभी भी इस

न्यायालय के विचाराधीन है।आयोग के संज्ञान में लाया गया कि दूसरा पद डॉ. पूनम गोयल द्वारा 28.02.2020 का खाली कर दिया गया था।आयोग की सिफारिश पर, उन्हें प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन भी था और यह माना गया था कि केवल दो रिक्तियां थीं, जिनमें से एक वर्ष 2017-18 के लिए और दूसरी वर्ष 2020 के लिए उपलब्ध थी।प्रतिवादी नंबर 2 योग्यता सूची में दूसरे स्थान पर थे, जबकि डॉ. नवनीत टक्कर नंबर 1 पर थे, क्योंकि वे दोनों 21.04.2003 को शामिल हुए थे और उनके पास दोनों पदों को भरने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव था और तदनुसार 7 वरिष्ठ व्याख्याताओं की सिफारिश की गई थी।

(7) जाहिर है, आयोग द्वारा 12.01.2021 को प्रशासन को संबोधित किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा 11.02.2021 पर विस्तार से जवाब दिया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रीडर का दूसरा पद ओ. बी. एस. टी. और स्त्री रोग के क्षेत्र में है जो नियमों में संशोधन के बाद 13.05.2003 पर बनाया गया था।विशेष रूप से दो वरिष्ठ संकाय सदस्यों के बीच मुकदमे बाजी का उल्लेख किया गया था और धारा खंड-3 के तहत यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि डॉ. अलका सहगल की पदोन्नति पर जो पद आया था, वह ' समाप्त' श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या 2 में स्थित है।हालाँकि, याचिकाकर्ता-आयोग ने 02.03.2021 पर उक्त पहलू पर आपत्ति जताई और प्रशासन को इस आधार पर 12.04.2017 के निर्देश का उल्लेख करते हुए कि इस पद को दो साल से अधिक समय के लिए समाप्त माना गया था, आवश्यक कार्रवाई के लिए विचाराधीन पद के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को व्यय विभाग के साथ तेजी से उठाने का प्रस्ताव दिया।

(8) दिनांक 17.03.2021 (अनुलग्नक आर-IV) पर प्रशासन ने फिर से वही रुख अपनाया कि एसोसिएट प्रोफेसर (ओबेस्ट और स्त्री रोग) के पद के खिलाफ वेतन निकाला जा रहा था जो पद भरकर अनुबंधिक आधार पर जब मामला विचार दिन था और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उस विचाराधीन नोटिस जारी किया गया था।इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि छात्रों और रोगियों की देखभाल के लिए, शैक्षणिक हित, जनहित में पद को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए जैसा कि दिनांक 29.12.2020 के संचार के माध्यम से शुरू किया गया था।याचिकाकर्ता-आयोग ने 01.04.2021 पर वापस लिखा कि अनुबंध के आधार पर पद को भरने के माध्यम से पद को जीवित मानने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जो हमारी मानी गई राय में नियमों के अनुसार नहीं है, जिन्हें न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(9) यह स्पष्ट होगा कि कॉलम-14 के अनुसार, अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान है।इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, आयोग का रुख विचाराधीन नियम की सराहना किए बिना है और इसलिए, न्यायाधिकरण पूरी तरह से उचित था कि अनुबंध के आधार पर पद को भरने के लिए नियमों के तहत ही एक प्रावधान था।

(10) यह तथ्य की बात है और यह प्रतिवादी संख्या 2 का भी विशिष्ट रुख है और जैसा कि प्रशासन ने देखा है कि डॉ. शिखा रानी को इस तथ्य के कारण लंबित मुकदमे के दौरान नियुक्त किया गया है कि डॉ. अलका सहगल ने उनके पक्ष में 20.04.2017 का अंतरिम आदेश प्राप्त किया है और चंडीगढ़ प्रशासन ने 14.08.2017 पर उनकी पदोन्नति को रद्द करने के आदेश को भी वापस ले लिया था।11.05.2021 (अनुलग्नक R-9) एक पत्र देखें, याचिकाकर्ता का रुख इस हद तक दोहराया गया था कि इस मामले में व्यय विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।न्यायाधिकरण के समक्ष प्रशासन का इस मुकदमे के विवरण और इस तथ्य ा के बारे में भी था कि रिक्ति हुई थी और प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है।

(11) याचिकाकर्ता-आयोग ने शुरू में दायर अपने संक्षिप्त जवाब में कहा था कि रिक्ति, जो 14.08.2017 पर हुई थी, खाली रही थी और इसे समाप्त माना गया था और केवल एक रिक्ति थी, जो पदधारी की पदोन्नति पर खाली हो गई थी और आवेदक के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।

(12) आयोग के वकील ने अतिरिक्त जवाब दाखिल किया और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशक, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोग को संबोधित एक पत्र दिनांक 28.05.21 (अनुलग्नक आर-2/2) का संदर्भ दिया, जिस पर आयोग के वकील ने जोर दिया।प्रशासन ने जाहिर तौर पर मुकदमे के दौरान यह विचार बदला था कि व्यय मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इस पद को स्थगित रखा जा सकता है। वकील याचिकाकर्ता आयोग ने यह भी बताया है कि पत्र दिनांक 01.04.2021 (अनुलग्नक आर-2/6) के पत्र द्वारा भेजा गया प्रस्ताव, कि संकाय पद, जो 3 साल से अधिक समय से खाली पड़े थे, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर का उक्त पद वशिष्ठ संख्या 24 में उल्लिखित मौजूद था और पुनरुद्धार की मांग की गई थी।इस प्रकार यह याचिकाकर्ता-आयोग का रुख है कि प्रशासन समय भी उक्त पद के पुनरुद्धार की मांग करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा था और इसलिए, प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मामले के इस पहलू की जांच नहीं की है और आदेश पारित किया गया था।

(13) याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त जवाब-आयोग 13 23.07.2021 से पता चलता है कि डॉ. रीति मेहरा, प्रतिवादी संख्या 2 के दावे के खिलाफ, यह फिर से दोहराया गया कि अनुबंध के आधार पर भरा गया पद पद को समाप्त नीति के तहत आने से नहीं बचाएगा।

(14) दिनांक 12.04.2017 (अनुलग्नक आर-III) के निर्देशों के अवलोकन से पता चलता है कि भारत संघ ने 'पदों को समाप्त और पुनरुद्धार' के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए थे।संबंधित खंड निम्नानुसार हैः

> " 5.1 पदों का उन्मूलन और पदों का पुनरुद्धारः
>
> 'क. किसी भी मंत्रालय/विभाग/संलग्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/सांविधिक निकाय में 2 साल से अधिक की अवधि के लिए स्थगित या खाली रखे गए नए बनाए गए पदों को

छोड़कर सभी पदों को तब तक 'समाप्त माना जाएगा' जब तक कि पद को मंजूरी देते समय कोई छूट न दी गई हो।

ख ।' समाप्त' समझे जाने वाली श्रेणी में आने वाले किसी पद को व्यय विभाग से इसका 'पुनरुद्धार' प्राप्त करने से पहले नहीं भरा जा सकता है।

ग. वैधानिक पद, जिनका नाम और स्तर/वेतनमान विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम में प्रदान किया गया है, को 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खाली रहने पर 'समाप्त माना जाता है' की श्रेणी में आने से छूट दी गई है।केवल अधिनियम में उल्लिखित पदों को सांविधिक माना जा सकता है, न कि उनके सहायक कर्मचारियों को।

घ. नव सृजित पद (वे पद जो हाल ही में व्यय विभाग/कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए हैं), जिनके पास आर. आर. नहीं हैं, समाप्त माना जाता है" की श्रेणी में आते है सृजन की तारीख से 3 साल की अवधि के बाद 'समाप्त' कर दिया गया जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि यह छूट उन नए बनाए गए पदों पर लागू नहीं होगी जिनके पास मौजूदा आर. आर. हैं।

ई. पदों के पुनरुद्धार पर केवल दुर्लभ और अपरिहार्य परिस्थितियों में विचार किया जाएगा।

च. पदों के पुनरुद्धार के प्रस्तावों को इस विभाग द्वारा जारी निर्धारित चेकलिस्ट (अनुलग्नक-II) के साथ फाइल पर इस विभाग को भेजा जा सकता है।प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग चेकलिस्ट तैयार की जा सकती है।उचित चेकलिस्ट के बिना प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(15) उपरोक्त खंड के अवलोकन से पता चलता है कि विभाग में 2 साल से अधिक की अवधि से जो पद खाली था, उसे 'समाप्त माना गया' माना जाना था।संबंधित नियम जो पदोन्नति के माध्यम से पदों को भरने का प्रावधान करते हैं, वे इस प्रकार हैं:

1	2	3	4	5	6	7
2. रीडर(प्रसूति और स्त्री रोग)	01*(2002) कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ए' राजपत्रित, गैर-मंत्रिस्तरीय	रु. 18, 350-450-18600-500-20,100/- प्लस गैर-अभ्यास भत्ता	योग्यता के आधार पर चयन	पचास वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल की अवधि में छूट। ध्यान दें: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम में उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का पांग उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप)।	हाँ

8	9	10	11
आवश्यक:	आयु: कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं	प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए एक वर्ष।	पदोन्नति/विफलता जो प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा दोनों में विफल रहती है।
किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/शिक्षण संस्थान में सहायक प्रोफेसर/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता के रूप में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करना। ध्यान दें 1: अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जाती है। ध्यान दें 2: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव के संबंध में योग्यताओं में छूट है। यदि चयन के किसी भी चरण में, संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय: सूचकांक चिकित्सा/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमित न्यूनतम चार शोध प्रकाशन।			

12	13	14
पदोन्नतिः ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ व्याख्याता (प्रसूति और स्त्री रोग)। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश/सांविधिक निकाय/स्वायत्त संगठन/अनुसंधान संस्थानः (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करना या (ii) वेतन के पैमाने में पदों में दो साल की नियमित सेवा के साथ रु. 14300-18300-या समकक्ष; और (बी) कॉलम (8) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ होना। फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्तिवादियों पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आयोजित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि शामिल है, आम तौर पर पांच साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पदोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ए' विभागीय पदोन्नति समिति): 1.अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष 2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य 3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य 4. प्राचार्य, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ -	सीधी भर्ती करते समय और अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(16) उक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि रीडर का पद वरिष्ठ व्याख्याताओं से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, जो सहायक प्रोफेसर के बराबर है, जो 5 साल तक नियमित सेवा में थे।मान जाता है कि

प्रतिवादी संख्या 2 को 10.04.2003 को विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता नियुक्त किया था और वो अपेक्षित अनुभव रखते हैं।खंड-11 में आगे प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती करने और अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर एक अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान था।प्रशासन का रुख स्पष्ट रहा है कि वरिष्ठ संकाय सदस्यों के बीच मुकदमेबाजी के कारण, जो अभी भी विचाराधीन है, कि डॉ. शिखा रानी को अंतराल को भरने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने केवल 05.31.2022 पर इस्तीफा दे दिया है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वह नियमों के अनुसार नियुक्त होने के योग्य नहीं थी, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।एक बार जब वह उक्त नियमों के अनुसार काम कर रही थी, तो आयोग द्वारा लिए गए रुख का शुरू में प्रशासन द्वारा विरोध नहीं किया गया है और बल्कि, प्रतिवादी संख्या 2 के मामले का प्रशासन द्वारा यह कहते हुए समर्थन किया गया है कि यह नियमों के अनुसार एक अल्पकालिक संविदात्मक नियुक्ति थी।केवल इसलिए कि प्रशासन ने पुनरूद्धार की मांग करके मुकदमे के दौरान एक स्वैच्छिक कदम उठाया है, निजी प्रतिवादी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(17) इस प्रकार हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया तर्क किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पूरी तरह से पात्र है और केवल वरिष्ठ संकाय सदस्यों के मुकदमे के कारण और इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण, यह उस स्तर पर आ गया था जब विचाराधीन पदोन्नति के लिए विचार के उसके अनुरोध को इस आधार पर अवरुद्ध किया जा रहा है कि कब समाप्त हो गया है।"एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" उकित पर भरोसा किया जा सकता है कि अदालत का कार्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।मोहम्मद गाजी बनाम एम. पी. राज्य पर भरोसा किया जा सकता है, जहां इस मुद्दे में यह था कि क्या किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका में अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण उसकी कोई गलती नहीं होने पर दंडित किया जा सकता है।उक्त परिस्थितियों मैं यह माना गया था कि एक बार बोली स्वीकार कर ली गई थी और स्थगन आदेश के कारण उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी अपीलकर्ता की बैयाना राशि को कम करने का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता था।उक्त सिद्धांत यहाँ भी सीधे लागू होगा क्योंकि याचिकाकर्ता के पद पर विचार करने के अधिकार को केवल उस रोक के कारण अस्वीकार किया जा रहा है जो उसके एक वरिष्ठ के पक्ष में दी गई थी। प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकतम सामानता, अर्थात् न्यायालय का एक अधिनियम किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, लागू होगा। यह उक्ति न्यरा अच्छी समझ पर आधारित है जो कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है।दूसरा उक्ति है, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिला-कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। यह समझा जाता है कि कानून स्वयं और उसक ा प्रशासन अपनी सामान्य उ़कितयो में असभवतओं को मजबूर करने के सभी इरादों को अस्वीकार करता है और कानून के

प्रशासन को विशेष मामलों के विचार में उस सामान्य अफवाद को अपनाना चाहिए।राज कुमार डे बनाम त्रारपदा डे, 1987 (4) एस. सी. सी. 398 में इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मानदंडों की प्रयोज्यता को मंजूरी दी गई है।"

(18) इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी संख्या 2 का अधिकार आयोग द्वारा यह अभिनिर्धारित करके नकारात्मक नहीं हो सकता है कि पद को समाप्त कर दिया गया था, एक बार जब यह प्रतिवादी संख्या के मामले का समर्थन करने में प्रशासन का एक विशिष्ट रुख था कि पद नियमों के अनुसार अनुबंध के आधार पर भरा गया था और कभी खाली नहीं रहा था।इसलिए, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि न्यायाधिकरण ने पदोन्नति के लिए उक्त प्रतिवादी के विचार के लिए निर्देश जारी करने में किसी भी तरह से गलती नहीं की है।

(19) नतीजतन, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है, और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण. स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रूपेश कुमार ट्रांसलेटर कोर्ट आफ डॉ. नंदिता कौशिक एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट जगाधरी।